केंद्रीय मुहर विभाग-2

संदर्भ : कें.मु.वि-/16:16111

30 जुलाई 2018

विषय: 18 16111: 2013 की संशोधन संख्या 1 मई 2018 का अनुपालन (इलास्टिक पट्टी)

1 आई एस 16111:2013 के संशोधन सं 1 को प्रकाशित किया गया है। गजेट नोटिफ़िकेशन सं S.O. 3410 (E) 2 जुलाई 2018 के अनुसार इसका अनुपालन तत्काल प्रभाव से करने का निर्णय लिया गया है।

2 इस संशोधन के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा एस टी आई में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है

3 सभी शाखा कार्यालयों से अनुरोध है की अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सभी लाइसेन्स धारकों/आवेदकों को उपरोक्त संशोधन के कार्यान्वयन के बारे मे सूचित करें।

> (आदित्य दास) वैज्ञानिक सी (कें.मु.वि.-2)

प्रमुख, (कें.मु.वि.-2)

सभी क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों/टी एक्स डी/एलिपिपिडी को intranet माध्यम से परिचालित प्रतिलिपि:

ITS - इंट्रानेट पर अपलोड करने के लिए

CENTRAL MARKS DEPARTMENT -2

Our Ref: CMD-2/16:16111 30-July-2018

Subject: Implementation of amendment no. 1 May 2018 to IS 16111:2013 (Elastic Bandage)

- 1. Amendment no. 1 to IS 16111:2013 has been published. As per Gazette Notification No S.O. 3410 (E) dated 2 July 2018 it has been decided to implement the same with immediate effect.
- 2. This amendment does not necessitate any change in the existing STI.
- 3. All BOs are requested to inform the licensees/applicants in their jurisdiction about the above amendment.

Aditya Das Sc. C

HCMD-2

Circulated to ROs/BOs/TXD/LPPD through intranet

Copy to: ITSD- for hosting in intranet